



पत्रांक 90-14/AIE/2020- 122 /

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान,
शेखपुरा ।

सेवा में,

संचालक / व्यवस्थापक / प्रधानाध्यापक
डिवाइन लाइट पब्लिक स्कूल, बरबीघा ।

शेखपुरा, दिनांक 17 / 02 / 2020

विषय : बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 11 के उप नियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति अवधि के संबंध ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ कार्यालय पत्रांक 720, दिनांक 21.09.2016 द्वारा आपको तीन वर्षों यथा 2017-18 से 2019-20 तक के लिए शर्तों के साथ औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की गई थी तथा प्रस्वीकृति कोड संख्या PVT/SCH/SKP/004 प्रदान किया गया था । आपके द्वारा प्रस्वीकृति अवधि विस्तारित करने हेतु आवेदन उपलब्ध कराया गया है ।

अतः उपरोक्त के आलोक में दिनांक 17.02.2020 को त्रिसदस्यी कमिटी की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार डिवाइन लाइट पब्लिक स्कूल, बरबीघा को कक्षा नर्सरी/कक्षा-01 से कक्षा 08 तक संचालन हेतु पूर्व में दिये गये प्रस्वीकृत संख्या/कोड पर ही शर्तों के साथ अगले तीन वर्ष यथा 2020-21 से 2022-23 तक के लिए प्रस्वीकृत अवधि को विस्तारित किया जाता है, जिसकी शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन आपके द्वारा अक्षरशः किया जायेगा, ऐसा नहीं पाये जाने पर आपके विद्यालय की प्रस्वीकृति कभी भी रद्द की जा सकती है ।

PRINCIPAL
DIVINE LIGHT PUBLIC SCHOOL, BARBIGHA
CBSE Affiliation No.: 330546

विश्वासमाजन

17.02.20

(सतीश प्रसाद सिंह)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान,
शेखपुरा

17.02.20

Kishan Singh
MANAGER

DIVINE LIGHT PUBLIC SCHOOL, BARBIGHA
CBSE Affiliation No.: 330546